पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा

शिविर स्थल ग्राम पंचायत : 12 जीबी, दिनांक : 30.06.2025

फार्म नं.– III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम **श्रीविजयनगर**

पटवारी 12 जीबी **बनाम** सतविन्द्र सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नम्बर ......92 सन् 2025
नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू अभिलेख नियम जी.सी.एम.एस. आईडी :2025/160........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
30.06.2025	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा के अन्तर्गत शिविर ग्राम पंचायत 12 जीबी में सरपंच ग्राम पंचायत 12 जीबी सहित ग्रामीणों द्वारा उपस्थित होकर ग्राम पंचायत के ग्राम 14 जीबी से ग्राम पंचायत मुख्यालय 12 जीबी व कल्याण कोट स्टेशन को जोड़ने वाला पत्थर लाईन पर सीधा नहीं चलने के कारण डामरीकरण में आ रही समस्या से अवगत करवाने पर शिविर सहप्रभारी श्री सतवीर सिंह, नायब तहसीलदार तहसील श्रीविजयनगर मय राजस्व पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक को साथ लेकर ग्रामीणों के साथ मौका निरीक्षण किया गया। मौका पर सड़क को पत्थर लाईन पर सीधा स्वीकृत किये जाने हेतु ग्राम 14 जीबी प.नं. 147/400 मु.नं. 2 कि.नं. 5,6,15,16,25 के खातेदार सतविन्द्र सिंह पुत्र चनन सिंह व गुरकिरत सिंह पुत्र सतविन्द्र सिंह की ओर से संतविन्द्र सिंह पुत्र चनन सिंह द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने पर सहमति प्रकट की गयी। जिस पर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। मौका रिपोर्ट पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के आधार पर नायब तहसीलदार, तहसील श्रीविजयनगर के द्वारा ग्राम 14 जीबी प.नं. 147/400 मु.नं. 2 कि.नं. 5,6,15,16,25 प्रत्येक में 0.025है. में कटानी रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते की भूमि को खातेदार की खातेदारी में ही रखा जाने की अनुशंसा प्रेषित की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम पंचायत 12 जीबी को ग्राम 14 जीबी व कल्याण कोट स्टेशन से जोड़ता है तथा भूमि के खातेदार द्वारा रास्ता दर्ज किये जाने पर सहमति भी प्रकट की गयी है, मौका निरीक्षण करने पर रास्ता उपयोगी एवं आवश्यक होना पाया गया है। अतः खातेदार की सहमति एवं नायब तहसीलदार श्रीविजयनगर की अनुशंषा के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम 14 जीबी प.नं. 147/400 मु.नं. 2 कि.नं. 5,6,15,16,25 प्रत्येक में 0.025है. [illegible] रास्ता के रूप में अंकित किया जावे तथा भूमि का [illegible] खातेदार की खातेदारी में ही दर्ज रखा जावे। आदेश [illegible] प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय मजमा–ए–आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:47:06 IST
Reason: SelfAttested